न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 109/2020 (2020/00231)

तारीख दायरा–22.10.2020

तारीख निर्णय–18.02.2021

1. श्रीमती श्री कुटी पत्नी रामलाल जोशी निवासी मजावद का स्वर्गवास होने से उनके विधिक वारिसान निम्नानुसारः–

   1/1 श्री दिलीप कुमार पिता रामलाल जोशी उम्र वयस्क निवासी मजावद तहसील गोगुन्दा।

   1/2 श्री दिनेश कुमार पिता रामलाल जोशी उम्र वयस्क निवासी मजावद तहसील गोगुन्दा।

........वादी

बनाम

1. राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती शीला पुत्री रामलाल जोशी उम्र वयस्क निवासी मजावद तहसील गोगुन्दा।

...........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, (64)4 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री खुमाणसिंह राव

प्रतिवादी की ओर से– श्री भगवती लाल तेली

निर्णय

वादीया की ओर प्रस्तुत वाद का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के स्वामित्व एवं अधिपत्य एवं कब्जे शुदा भूमि मौजा मजावद पटवार हल्का मजावद तहसील गोगुन्दा के राजस्व रेकर्ड में अंकित गत बन्दोबस्त के आराजी संख्या 1532, 1536 रकबा 136 बिधा 19 बिस्वा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता के श्री रामलाल पिता देवीलाल ब्राहम्ण निवासी मजावद के नाम पर सब डिविजन ऑफिसर उदयपुर के द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 21.03.1974 को उपरोक्त आराजीयाम में से 5 बिधा भूमि आवंटित कि जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया तथा जिसका विधिवत नामान्तकरण दिनांक 20.12.1974 को नामान्तकरण संख्या 456 को स्वीकृत किया गया एवं नक्शा ट्रेस बनाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई जिसका जमाबन्दी संवत् 2021 से 2024 तक कि जमाबन्दी में किया हुआ है किन्तु जमाबन्दी संवत् 2021 से 2024 के बाद कि जमाबन्दी एवं सेटलमेन्ट में सहवन से अमल दरामद करने से रह गया जिसके हाल आराजी संख्या 1848 रकबा 18.2900 हैं0 लगानी काश्त की भूमि स्थित है जो वर्तमान में बिलानाम काबिल काश्त है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता को वर्तमान आराजी संख्या 1848 रकबा 18.2900 हैं0 भूमि में 5 भूमि आवंटन की गई थी जिसमें पुनः वादीगण एंव प्रविवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का आदेश फरमावें।

इस प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्त श्री भगवती लाल तेली का वकालत नामा पेश हुआ जिन्होने वाद स्वीकार करने पर सहमति प्रदान की उक्त प्रकरण में तहसीलदार गोगुन्दा से रिपोर्ट तलब की गई जिसमें बताया गया की मौजा मजावद पटवार हल्का मजावद तहसील

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

गोगुन्दा में आराजी संख्या 1532 एवं 1536 में श्री रामलाल पिता देवीलाल ब्राहम्ण निवासी मजावद को सब डिविजन ऑफिसर उदयपुर द्वारा दिनांक 21.03.1978 को उक्त आराजी में से 5 बीधा भूमि का आवंटन हुआ था। जिसका नामान्तकरण 456 दिनांक 13.12.1978 दर्ज से गैर खातेदारी में दर्ज हुआ। जिसका जमाबन्दी संवत् 2021 से 2024 में अमल दरामद भी हुआ है, किन्तु जमाबन्दी के अगले रोटेशन 2025 से 28 में अमल नही हुआ है। कालान्तर में भू– प्रबन्ध कार्यवाही होने से उक्त दोनो साबिक आराजी नम्बर 1532 एवं 1536 का नया आराजी नम्बर 1848 दर्ज हुआ जिसका रकबा 17.6400 दर्ज होकर वर्तमान में बिलानाम सरकार दर्ज है। दिनांक 11.02.2021 को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ओदश 22 नियम 3 तथा सपठित धारा 151 जा.दी. पेश कर निवेदन किया की वादीया की मृत्यु दिनांक 28.11.2020 को हो चुकि है जिनके विधिक वारीसान श्री दिलीप कुमार, दिनेश कुमार एवं शीला है जिन्हे वादीया के पति का आवंटित भूमि का विधिक वारीयान बनाया जाकर उन्हे आवंटित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमावें। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ताओ बहस सुनी गई। अतः अपनी बहस के अन्त में वाद माफिक स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। मौजा मजावद पटवार हल्का मजावद तहसील गोगुन्दा में दिनांक 21.03.1978 को वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 2 के पिता रामलाल पिता देवीलाल ब्राहम्ण को 5 बीधा भूमि आवंटन हुई थी जिसका नामान्तकरण भी खुला परन्तु नये रोटेशन में उक्त नाम दर्ज होने से शेष रह गया जिसे दुरस्त कर आवंटन प्रार्थी के वारीसान को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा मदारडा पटवार हल्का मजावद तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2077 से 80 के खाता संख्या 1 के आराजी संख्या 1848 रकबा 17.6400 है0 बिलानाम काबिल काश्त भूमि में से 5 बीधा भूमि का श्री रामलाल पिता देवीलाल एवं श्रीमती मेरी कुटी पत्नी रामलाल ब्राहम्ण के वारीसान श्री दिलिप कुमार, दिनेश कुमार पिता रामलाल एवं श्रीमती शीला पुत्री रामलाल जोशी जाति ब्राहम्ण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता हैं। एतदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय एवं डिक्री की प्रति भेजी जाकर तहसीलदार गोगुन्दा को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Neelam

(नीलम लखारा)

उपखण्ड अधिकारी

गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिकी

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 109 / 2020 (2020 / 00231)

तारीख निर्णय–18.02.2021

1. श्रीमती मेरी कुटी पत्नी रामलाल जोशी निवासी मजावद का स्वर्गवास होने से उनके विधिक वारिसान निम्नानुसारः–

   1 / 1 श्री दिलीप कुमार पिता रामलाल जोशी उम्र वयस्क निवासी मजावद तहसील गोगुन्दा।

   1 / 2 श्री दिनेश कुमार पिता रामलाल जोशी उम्र वयस्क निवासी मजावद तहसील गोगुन्दा।

........वादी

बनाम

1. राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती शीला पुत्री रामलाल जोशी उम्र वयस्क निवासी मजावद तहसील गोगुन्दा।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, (64)4 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री खुमाणसिंह राव

प्रतिवादी की ओर से– श्री भगवती लाल तेली

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 18.02.2021 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिकी किया जाता है मौजा मदारडा पटवार हल्का मजावद तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2077 से 80 के खाता संख्या 1 के आराजी संख्या 1848 रकबा 17.6400 है0 बिलानाम काबिल काश्त भूमि में से 5 बीधा भूमि का श्री रामलाल पिता देवीलाल एवं श्रीमती मेरी कुटी पत्नी रामलाल ब्राहम्ण के वारीसान श्री दिलिप कुमार, दिनेश कुमार पिता रामलाल एवं श्रीमती शीला पुत्री रामलाल जोशी जाति ब्राहम्ण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता हैं।

Neelam

(नीलम लखारा)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)